

(भारत के राजपत्र के भाग 1 खण्ड 2 में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और पशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 10 अगस्त, 2017

अधिसूचना

सं.....राष्ट्रपति, भारतीय प्रशासनिक सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियमावली, 1955 के विनियम 9(1) तथा भारतीय प्रशासनिक सेवा (परिवीक्षा) नियमावली, 1954 के नियम 3 के साथ पठित भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) नियमावली, 1954 के नियम 8(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए वर्ष, 2015 और 2016 की चयन सूची के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य सिविल सेवा के निम्नलिखित सदस्य को राज्य सरकार के परामर्श से उपर्युक्त विनियमावली के विनियम 5(1) के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा निर्धारित रिक्तियों के प्रति भारतीय प्रशासनिक सेवा में अगले आदेशों तक परिवीक्षा पर नियुक्त करते हैं तथा उन्हें भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 5(1) के अंतर्गत मध्य प्रदेश संवर्ग आवंटित करते हैं:-

2015 की चयन सूची (01.01.2015 से 31.12.2015 के बीच हुई रिक्तियों के लिए)

क्रम संख्या	अधिकारी का नाम (सर्वश्री/सुश्री)	जन्म तिथि
1.	देवा सिंह नेगी	22.12.1959
2.	दोर्जे छेरिंग नेगी	28.12.1966
3.	गोपाल चन्द	14.03.1966
4.	अश्विनी कुमार चौधरी	02.10.1962

2016 की चयन सूची (01.01.2016 से 31.12.2016 के बीच हुई रिक्तियों के लिए)

क्रम संख्या	अधिकारी का नाम (सर्वश्री/सुश्री)	जन्म तिथि
1.	कल्याण चन्द चमन	02.03.1963
2.	रघुवीर सिंह वर्मा	10.04.1960

फा.सं.14015/08/2017-अ.भा.से.(1)-ख

उपर्युक्त अधिसूचना माननीय हिमाचल प्रदेश, शिमला, उच्च न्यायालय द्वारा हुए निम्नलिखित सीडब्ल्यूपी के हस्तांतरण के कारण हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण के समक्ष न्यायनिर्णयन के अधीन आवेदनों पर फैसले के अध्यक्षीन होगी:

- (i) श्री अमित कश्यप बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य एवं अन्य द्वारा दायर सीडब्ल्यूपी सं. 6733/2010;
- (ii) श्री जतिन्दर मोहन पठानिया बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य एवं अन्य द्वारा दायर सीडब्ल्यूपी सं. 585/2012;
- (iii) श्री राजेश शर्मा बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य एवं अन्य द्वारा दायर सीडब्ल्यूपी सं. 8167/2013;
- (iv) श्री महेन्द्र पाल सूद बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य एवं अन्य द्वारा दायर सीडब्ल्यूपी सं. 8213/2013; और श्री विनोद कुमार बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य एवं अन्य द्वारा दायर सीडब्ल्यूपी सं. 151/2014

(पंकज गंगवार)

अवर सचिव, भारत सरकार

फोन: 23094715

सेवा में,


प्रबंधक,

भारत सरकार मुद्रणालय,

फरीदाबाद (हरियाणा)

प्रतिलिपि:

1. मुख्य सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला को संबंधित अधिकारियों को अग्रोषण किए जाने हेतु इसके अतिरिक्त यह भी अनुरोध किया जाता है कि आईएस (वरिष्ठता विनियमन प्रस्ताव) के अधीन दिए गए निर्धारित प्रफार्मा के अनुसार संबंधित अधिकारी के संबंध में वरिष्ठता नियतन/आबंटन वर्ष के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करें।
2. मुख्य सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला।
3. महालेखाकार, हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला।
4. सचिव, संघ लोक सेवा आयोग, धौलपुर हाऊस, नई दिल्ली।
5. भारत सरकार, नई दिल्ली के स्थापना अधिकारी।



(पंकज गंगवार)

अवर सचिव, भारत सरकार

आंतरिक वितरण:

- ✓ (i) एनआईसी, डीओपीटी को इस विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए।
- (ii) उप सचिव (एआईएस)/अवर सचिव (एस-II)/ईओ (सीएम)/एआईएस-III/एवीडी-1